



**प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने के पूर्व इन बिन्दुओं को ध्यान पूर्वक पढ़े**

1. आवेदन पत्र आवेदक द्वारा ही साफ—साफ अक्षरों में भरा होना चाहिए। आवेदन में किसी भी प्रकार पुनर्लेख (Over Writing) कट—कूट (Cutting) एवं अप—लेखन (Erasing) होने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
2. उम्र सीमा— 10 से 12 वर्ष (विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि ही मान्य होगी)इस संबंध में निर्धारित मेडिकल बोर्ड की निर्णय अंतिम होगा।
3. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के तहत निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. आवासीय प्रमाण—पत्र आवेदक को झारखण्ड राज्य का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
5. जाति प्रमाणपत्र—अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को आरक्षण हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. शैक्षणिक योग्यता—5वाँ उत्तीर्ण अथवा छठा वर्ग में अध्ययनरत आवेदक विद्यालय प्रमाण पत्र संलग्न करें। अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इसके प्रमाण स्वरूप आवेदन पत्र को अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए आवेदन भरना होगा।
7. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर—आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थल पर फोटो चिपका कर विद्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित करायें एवं फोटो के नीचे निर्धारित स्थल पर हस्ताक्षर करें।
8. लिखित प्रवेश परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन के समय निम्नलिखित प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-
  - a) आयु प्रमाण पत्र
  - b) आवासीय प्रमाणपत्र
  - c) जाति प्रमाणपत्र(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
9. अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में अनावश्यक पत्राचारों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।